

## उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड ।

(कार्मिक अनुभाग-एक)

संख्या 192-सी / उ0नि0(एक)-20 / 2018-19

दिनांक : देहरादून : 17 अप्रैल, 2018

समस्त महा प्रबन्धक,  
जिला उद्योग केन्द्र,  
उत्तराखण्ड ।

**विषय** उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत साफ्टवेयर में अधिकारियों/ कर्मचारियों के उाटा प्रदर्शन तथा वार्षिक स्थानान्तरण हेतु विकल्प मांगे जाने के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त के संबंध में निदेशालय के पत्र संख्या 174-सी (उ0नि0)-20 / 2017-18, दिनांक 15 अप्रैल, 2018 के प्रस्तर संख्या-2 में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण में उल्लिखित विवरण के साक्ष्य आनलाईन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पत्र के साथ गार्ड लाईन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्न-प्रपत्र ।

भवदीय,

(के0के0कोटनाला)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार ।

प्रतिलिपि समस्त कार्मिक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को दिशा निर्देश एवं गार्ड की लाईन की प्रति सहित ।

(के0के0कोटनाला)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ।

**धारा-7 के उपधारा 'घ' के अनुसार सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट होगी -**

1	वरिष्ठ कार्मिक (31 माई को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु होने पर)				
2	दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है और -				
3	क0सं0	विषय	सेगी	सेग	अनिवार्य प्रमाण-पत्र
	3(i)- गंभीर रूप से रोग ग्रस्त		पति/पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, माता-पिता	<p>1-कैन्सर</p> <p>2- ब्लड कैन्सर</p> <p>3-एड्स / एच0आई0वी0 पॉजिटिव</p> <p>4-हृदय रोग (बाईपास सर्जरी) अथवा एंजियोप्लास्टी किया हो)</p> <p>5-किडनी रोग (जयलिसिस पर निर्भर), ट्रांसप्लांट किया है, एक किडनी निकाली हो।</p> <p>6- टी0बी0 (दोनों फेफड़े संक्रमित हैं या एक फेफड़ा पूर्णतः खराब है)</p> <p>7- शीर्ष की हड्डी टूटने से बिमारी (बर्ड स्टेज)</p> <p>8-मिर्गी</p> <p>9-मानसिक रोग</p> <p>10-राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित अन्य बीमारी जिससे कार्मिक की विशेष क्षेत्र में तैनाती उचित न हो तथा धारा-27 से अनुमोदित हो।</p>	<p>(क) अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान</p> <p>1- पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस</p> <p>2-राज्य मेडिकल बोर्ड</p> <p>3- राज्य के अधिकृत मेडिकल संस्था</p> <p>4- राज्य विकित्सा विभाग द्वारा राज्य /जनपद स्तर के निर्दिष्ट प्राधिकारी /समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।</p> <p>(ख) राज्य मेडिकल बोर्ड की संस्तुति</p> <p>(ग) धारा-27 के अधीन गठित समिति का अनुमोदन</p>
	3(ii)-	विकलांग	विकलांगता	<p>1- पूर्ण अंधापन</p> <p>2-दोनों पांव सहित</p> <p>3-एक अपूर्ण पांव</p> <p>4-लकवाग्रस्त एक हाथ या एक पांव</p> <p>5-40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता</p>	विकलांगता हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र
4	ऐसे पति-पत्नी जिनका एकलौता पुत्र-पुत्री विकलांग हो।	विकलांग	विकलांगता	<p>1- पूर्ण अंधापन</p> <p>2-दोनों पांव सहित</p> <p>3-एक अपूर्ण पांव</p> <p>4-लकवाग्रस्त एक हाथ या एक पांव</p> <p>5-40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता</p>	विकलांगता हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र

**स्थानान्तरण हेतु अनुरोध (धारा-13) के अंतर्गत**

1. सुगम से दुर्गम क्षेत्र (कोई भी)
2. दुर्गम में 3 वर्ष / 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सुगम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिक दुर्गम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकता है।
- 3- पति / पत्नी दोनों राज्य सेवा में कार्यरत हैं तो अनुरोध पर सुगम अथवा दुर्गम क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु पात्र होंगे परन्तु ऐसी तैनाती उपरान्त किसी भी एक के कार्यस्थान पर 5 वर्ष / 3 वर्ष अथवा सेवा काल का कुल 10 वर्ष पूर्ण होने पर पति / पत्नी सामान्य स्थानान्तरण हेतु पात्र होंगे।
- 4- कार्मिक के पति / पत्नी के गम्भीर रोगग्रस्त / विकलांगता के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र हेतु अनुरोध

क्र०सं०	विषय	रोगी	रोग	अनिवार्य प्रमाण-पत्र	
(i)-	गंभीर रूप से रोग ग्रस्त	पति / पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, माता-पिता	<ol style="list-style-type: none"> <li>1-कैंसर</li> <li>2- ब्लड कैंसर</li> <li>3-एड्स / एचआईवी० पीजिटिव</li> <li>4-हृदय रोग (हार्डपास सर्जरी) अथवा एंजियोप्लास्टी किया हो)</li> <li>5-किडनी रोग (डायलिसिस पर निर्भर), ट्रांसप्लांट किया है, एक किडनी निकाली हो।</li> <li>6- टी०बी० (दोनों फेफड़े संक्रमित हैं या एक फेफड़ा पूर्णतः खराब है)</li> <li>7- रीढ़ की हड्डी टूटने से बिमारी (थर्ड स्ट्रेज)</li> <li>8-मिर्गी</li> <li>9-मानसिक रोग</li> <li>10-राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित अन्य बीमारी जिससे कार्मिक की विशेष क्षेत्र में तैनाती उचित न हो तथा धारा-27 से अनुमोदित हो।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(क) अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान</li> <li>1- पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस</li> <li>2-राज्य मेडिकल बोर्ड</li> <li>3- राज्य के अधिकृत मेडिकल संस्था</li> <li>4- राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य / जनपद स्तर के निर्दिष्ट प्राधिकाशी / समिति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।</li> <li>(ख) राज्य मेडिकल बोर्ड की संस्तुति</li> <li>(ग) धारा-27 के अधीन गठित समिति का अनुमोदन</li> </ol>	
(ii)-	विकलांग	विकलांगता	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- पूर्ण अंधापन</li> <li>2-दोनों पांव सहित</li> <li>3-एक अपूर्ण पांव</li> <li>4-लोकवाग्रस्त एक हाथ या एक पांव</li> <li>5-40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता</li> </ol>	विकलांगता हेतु सी०एम०ओ० द्वारा जारी प्रमाण पत्र	
(5) मानसिक रूप से रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतया लाचार / देखभाल हेतु पूर्णतः माता-पिता पर निर्भर होने पर अनुरोध - (सुगम से दुर्गम अथवा दुर्गम से सुगम हेतु)	क्र०सं०	विषय	रोगी	रोग	अनिवार्य प्रमाण-पत्र
(i)-	गंभीर रूप से रोग ग्रस्त एवं लाचार	बच्चे का नाम	रोग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1-विक्षिप्त</li> <li>2- रोगग्रस्त से लाचार</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1-राज्य मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र</li> </ol>
6- विधवा, विधुर, परिव्यवता, तलाकशुदा एवं वरिष्ठ कार्मिक का अनुसूच के आधार पर आवेदन।					

*Saty sharma*

5 सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति-पत्नी-				
क्र०सं०	सैनिक-अर्द्धसैनिक बल का नाम	प्रमाण पत्र		
5 (1)	सेना, बी०एस०एफ०, सी०आई०एस०एफ०, आई०टी०बी०टी०, सी०आर०पी०एफ०, एस०एस०बी०			